तृतीय स्तम्भ

महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज, सुलतानपुर

क्रमांक .....

दिनांक .....

परिषद् द्वारा संचालित विषय की हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित/अनुपस्थित परीक्षार्थी के क्रम में सम्मिलित अनुक्रमांक ..... इस महाविद्यालय का विवरण नीचे दिया गया .....

परीक्षार्थी द्वारा लिए गए विषयों के नाम	विषय के अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योग	वैकल्पिक विषयों			कुल योग	परीक्षा फल इस स्तम्भ की समाप्ति पर परीक्षार्थी फेल हो जाए
							प्रथम	द्वितीय	योग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
(१) हिन्दी	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	उत्तीर्ण
(२) गणित सामान्य गणित/पूर्ण गणित	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	विशेष योग्यता
(३) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	द्वितीय
(४) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	अनुत्तीर्ण
(५) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	उत्तीर्ण घोषित की जाती है
(६) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है

सम्पूर्ण प्राप्तांक (शब्दों में) [illegible] (अंकों में) [illegible]

परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

(१) प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ निर्धारित है। जिन विषयों के लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक लिखित परीक्षा (Theory) में निर्धारित है, उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये दोनों में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(२) विशेष योग्यता पाने के लिए किसी विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम योग में ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(३) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिये सम्पूर्ण योग फल के क्रम अनुसार ६०, ५० एवं ४५ प्रतिशत होना चाहिये।

(४) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तथा केवल एक विषय के अनुत्तीर्ण है, तो वह पूरक परीक्षा का अधिकारी है।

(५) पूरक परीक्षा के फीस सम्बन्धित होने वाले कक्षा परीक्षार्थी स्थान परिवर्तन के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी, जो पिछले वर्ष किसी में एक प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, पूरक परीक्षा के अधिकारी होने के साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के अधिकारी भी होंगे। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का परिवर्तन बिना शुल्क के ही किया जायगा। अतः उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें यदि वे इसके लिए शुल्क जमा कर देंगे तो उसे लौटाया नहीं जायेगा।